



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 ई०

चैत्र 11, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय विभाग

संख्या- 81/XXXVI-A-3/2026-16/2001

देहरादून, 01 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति/अधिसूचना (संशोधित)

प० आ०-11

उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों हेतु दिनांक 17.02.2026 को सम्पन्न चुनाव के निर्वाचित घोषित सदस्यों हेतु पूर्व निर्गत विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या-56/XXXVI-A-3/2026-16/2001 दिनांक 13 मार्च, 2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) सपठित उत्तराखण्ड बार काउंसिल निर्वाचन नियमावली, 2026 के स्थान पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) सपठित उत्तराखण्ड बार काउंसिल निर्वाचन नियमावली, 2026 तथा सूची के क्रमांक-6 पर अंकित सदस्य "श्री विकास बहुगुणा" के स्थान पर "श्री विकास बहुगुणा" पढ़ा जाय।

अमित कुमार सिरौही,
प्रमुख सचिव।